F-07-07



सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं. 1911/ Type Approval No. 1911

मद/FOR ITEM: एमजीबी ऑइल कूलर पार्ट सं. पीएलएक्स 11 85 598/एच एंड इंजन ऑइल कूलर पार्ट सं. पीएलएक्स 12 85 598/एच MGB Oil Cooler Part No. PLX 11 85 598/H & Engine Oil Cooler Part No. PLX 12 85 598/H

यह प्रमाणित किया जाता है की मेसर्स पोलिनेक्स, 7-सी, दोडुनकुंदी इंडस्ट्रियल एरिया, बेंगलुरु-560 048 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "एमजीबी ऑइल कूलर पार्ट सं. पीएलएक्स 11 85 598/एच एंड इंजन ऑइल कूलर पार्ट सं. पीएलएक्स 12 85 598/एच" को असेंब्ली आरेखन सं. पीएलएक्स 11 85 598/एच एवं पीएलएक्स 12 85 598/एच, रिविजन सं. शून्य, दिनांक 15 सितंबर 2012 के अनुसार चीता, चेतक एवं चीतल हेलिकॉप्टर्स में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह उत्पाद आर. सी. एम. ए (हेलिकॉप्टर) के समन्वय से क्वॉलिफिकेशन टेस्ट शेड्यूल सं. सीएच/सीके-आईएनडी-161, इश्यू-1, रिविज़न-ए, दिनांक 19 जुलाई 2012 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to Certify that the "MGB Oil Cooler Part No. PLX 11 85 598/H & Engine Oil Cooler Part No. PLX 12 85 598/H" designed, developed and manufactured by M/s. Polynex, 7-C, Doddanakundi Industrial Area, Bangalore – 560 048, is hereby approved for production as per Assembly Drawing Nos. No. PLX 11 85 598 / H and PLX 12 85 598/H, Rev No. Nil, Date: 15th Sept 2012 for use on Cheetah, Chetak & Cheetal helicopters. The product has been tested as per Qualification Test Schedule No. CH/CK-IND-161, Issue-1, Rev-A Date.: 19th July 2012, in co-ordination with RCMA (Helicopter). It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

पृष्ठ/Page 01 of 02

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

ਧੂਬ/Page 02 of 02 ਟੀ ए सं./TA No.1911 F-07-07

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता तदुपरांत इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सिम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (हेलिकॉप्टर), बेंगलूर – 560 017, से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st December 2021 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Helicopter), Bengaluru -560 017, for subsequent renewal, Three (3) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस संलग्न टाइप रिकोर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमित लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects for bulk production being cleared by **DGAQA**, Ministry of Defence, Government of India.

संलग्न/Encl: परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1911

दिनांक/Date : 19 December 2016

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

पी जयपाल / P.JAYAPAI

मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता) Chief Executive (Airworthiness)

1912/10